न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 73/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1. आकाश पुत्र करणी सिह जाति जाट सा.दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. धीरज पुत्र करणी सिह जाति जाट सा.दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1 पूनम पत्नि करणी सिह जाति जाट सा.दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री एस.एस.खोसा वकील वादी
2– श्री गोविन्द– वकील प्रति सं. 1
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 3

निर्णय

दिनांक :– 10.9.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 16 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 98/79 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमांबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी जद्दी जायदाद है। इस आराजी पर वादी का जन्म सिद्व अधिकार है। वादीगण ने प्रतिवादी से लम्बे अर्से से घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की चक 16 एफ.टी.पी. खाता संख्या 98/79 में कुल 6.869 है. मे से 4.578 है. आराजी वादीगण को बहिब घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से उक्त आराजी वादीगण के शांतिपूर्वक निरन्तर व लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। वादीगण उक्त अनुसार आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि वादीगण के घरू बंटवारा के अनुसार ओर कब्जा काश्त की आराजी नाम करवा देवे प्रतिवादी ने आज कल आज कल करते हुए अन्त में ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वादकारण है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद पत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित चक 16 एफ.टी.पी. खाता संख्या 98/79 में कुल 6.869 आराजी मे से 4.578 है. हिस्सा कम कर 4.578 है. बहिब वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर वाद को [illegible] जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। [illegible] वादी में वादी आकाश ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो [illegible] पत्रावली है। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 16 एफटीपी खाता संख्या 98/79 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 प्रदर्श–1 करवाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.11 17:08:29
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 16 एफटीपी के खाता संख्या 98/79 खाता पूनम जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है इस आधार पर वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 पूनम वादी आकाश, धीरज की माता है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार 16 एफटीपी के खाता संख्या 98/79 खाता पूनम जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में 6.869 है. आराजी प्रतिवादी संख्या 1 पूनम पत्नि करणी सिह के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 के मध्य राजीनामा पेश कर अपना समस्त हक/हिस्सा मे से 4.578 का परित्याग वादीगण के पक्ष में बहिब कर दिया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 पूनम पत्नि करणी सिह के नाम चक 16 एफटीपी खाता संख्या 98/79 खाता पूनम ज.स. 2073–2076 में दर्ज आराजी मे से 4.578 है. आराजी का वादीगण आकाश व धीरज को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 पूनम पत्नि करणी सिह का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.9.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संभरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संभरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.11 17:08:29 I
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:– 73/2024

1. आकाश पुत्र करणी सिह जाति जाट सा.दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. धीरज पुत्र करणी सिह जाति जाट सा.दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. पूनम पत्नि करणी सिह जाति जाट सा.दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री एस.एस.खोसा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गोविन्द वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 पूनम पत्नि करणी सिह के नाम चक 16 एफटीपी खाता संख्या 98/79 खाता पूनम ज.स. 2073–2076 में दर्ज आराजी मे से 4.578 है. आराजी का वादीगण आकाश व धीरज को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 पूनम पत्नि करणी सिह का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.9.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.11 17:08:29 I
Reason: SelfAttested